

180

नगर आयुक्त
नगर निगम

11/11/12

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-2060/नौ-5-2012-215सा/08टी.सी.

लखनऊ:: दिनांक 12 जुलाई, 2012



निलाधिकारी
कानपुर नगर

27/7

कार्यालय-ज्ञाप

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन दिनांक 03 दिसम्बर, 2005 को आरम्भ की गयी थी। मिशन का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और सुधारों के क्रियान्वयन से जुड़ा है। शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आदेश संख्या-के-14012/101(18)/2010-एनयूआरएम-11/5 दि० 28.11.2011 के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त जिले स्तर पर एक समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति, जिसे आगे समिति कहा गया है, एतद्वारा गठित किया जाता है।

2- उक्त समिति की संरचना एवं कार्य क्षेत्र इस प्रकार होंगे -

की प्रमाण युक्त
पुनर्जांच के लिए
50 के.के. संख्या

1. समिति का गठन- राज्य के प्रत्येक जिले में जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेंस (यू०आई०जी०), अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी०), बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर (बी०एस०यू०पी) तथा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आई०एच०एस०डी०पी०) कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाओं और सुधारों का संतोषजनक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों से प्रभावी सम्पर्क और समन्वय स्थापित करने के लिये एक समिति जिसे जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति कहा जायेगा, का गठन किया जायेगा।

30.7.12

Amc-II

2. समिति की संरचना :

(1) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-

(क) जहाँ जिले में लोक सभा के एक ही सदस्य हैं वहाँ, इस तथ्य के बावजूद कि चाहे वह लोक सभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या संघ मन्त्रिमण्डल में मन्त्री हों, समिति के अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

(ख) जहाँ एक जिले में एक या एकाधिक लोक सभा सदस्य हैं, और उनमें से कोई लोक सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद में मन्त्री हों तो वह अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और अन्य सदस्य समिति के सह अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किये जा सकेंगे। यदि सभी सदस्य हों तो वह जो जिले की विधान सभा खण्ड के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को अपने निर्वाचन क्षेत्र के भाग के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, उसे समिति का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सह अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

- (ग) कोई राज्य सभा सदस्य जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है यदि समिति से साहचर्य बनाने का विकल्प देता है (प्रथम आगत के आधार पर) तो वह समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जायेगा। अन्य सभी लोक सभा सदस्य सह अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (घ) लोक सभा सदस्यों की सूची जैसा कि शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित आदेश दिनांक 28.11.2011 के साथ संलग्न की गयी है संलग्नक-। पर संलग्न है।


(2) समिति के सदस्य - समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे-

- (क) लोक सभा के अन्य सदस्य और राज्य सभा के सदस्य भी जो जिले से अपना विकल्प दिये हों, सदस्य होंगे।
- (ख) जिले के राज्य विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित सभी सदस्य,
- (ग) नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष, नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी,
- (घ) परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण अथवा राज्य सरकार का एक अधिकारी,
- (ङ.) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी ख्याति प्राप्त सरकारी संगठन से एक सदस्य।,
- (च) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट समाजकार्य अथवा सामाजिक विज्ञान क्षेत्र से एक अध्यक्षव्यवसायी।,
- (छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला के प्रत्येक वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि।,

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ.), (च) और (छ) के सदस्यों को नगरीय प्रशासन और विकास का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखना अपेक्षित होगा।

(3) सदस्य सचिव -

- (क) जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- (ख) सदस्य सचिव, समिति के अभिलेखों के अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिये उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो इसके कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो।



(ग) सदस्य सचिव अध्यक्ष के निर्देशों पर समिति की बैठक आहूत करेगा।

- (4) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (5) अध्यक्ष अथवा सदस्य उस पद पर जिसके आधार पर ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रह जायेगा।
- (6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।
- (7) समिति का कोई सदस्य समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा।

3. समिति के कृत्य – समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्

- (क) परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,
- (ख) सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना,

(ग) सुधारों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अवरोधों की समीक्षा करना और मार्ग प्रशस्त करना

(घ) यू0आई0जी0 / यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 / बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 के अधीन परियोजनाओं को एकाभिमुख करना। नगर अथवा जिला स्तर पर अन्य पहलों, अभिनव प्रयास और उल्लेखनीय उपलब्धियों को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के साथ एक साथ समाहित करना,

(ङ.) अवस्थापना और सेवाओं से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही साथ सुधारों के क्रियान्वयन पर नगरीय स्थानीय निकायों को पथ प्रदर्शन करना।

(च) सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त और उसकी संस्तुति सम्बन्धित नगरीय निकायों और राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी और राज्य स्तर को प्रस्तुत करना।

4. समिति की बैठक— समिति की बैठक ऐसे स्थान पर ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाय, प्रत्येक त्रैमास पर आयोजित की जायेगी।

5. गणपूर्ति— समिति की बैठक में तब तक कोई कार्य सम्पादित न किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के अन्य सदस्यों की कम से कम एक तिहाई संख्या उपस्थित न रहे।

6. समिति की बैठक की सूचना –

- (1) स्थगित की गयी बैठक के अतिरिक्त अन्य सभी बैठक में विचारार्थ विषयों की कार्य सूची समिति के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा दिये गये पते पर भेजी जायेगी।
- (2) यह कार्य सूची ऐसी बैठक के लिये निर्धारित समय के कम से कम बहत्तर घण्टे पूर्व भेजी जायेगी।



7. समिति की बैठक में निर्णय:- समिति द्वारा विचारार्थ और निर्णय के लिये अपेक्षित समस्त विषय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे।
8. कार्यवाहियों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या का प्रस्तुत किया जाना-
 - (1) समिति की बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि की जायेगी।
 - (2) सदस्य सचिव पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेगा।
9. राज्यस्तरीय नोडल एजेन्सी के कर्तव्य-
 - (1) राजस्तरीय नोडल एजेन्सी शीर्षक 3 (च) के अधीन प्रस्तुत कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करेगी तथा अनुश्रवण कर सुनिश्चित करेगी कि समिति की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा चुकी है। एस0एल0एन0ए0 (स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी) द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। कृत कार्यवाही की आख्या समिति की सभी बैठकों के कार्य सूची का भाग होगी। यदि कृत कार्यवाही की आख्या में कोई सार्थक बिन्दु हो तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय और शहरी आवास और गरीबी मन्त्रालय भारत सरकार को भी भेजेगी।
 - (2) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी और सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय समिति की उसके कृत्यों के निष्पादन में सदस्य सचिव के माध्यम से सहायता करेगी।




(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव,

संख्या-2060(10)/नौ-5-2012तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, भारत सरकार, शहरी आवास एवं गरीबी उन्नमूलन उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 3- समिति के समस्त अध्यक्ष/सदस्य।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 6- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नमूलन कार्यक्रम विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।


- 7- सचिव, उ0प्र0 विधान परिषद सचिवालय।
- 8- सचिव, उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त महापौर/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश।
- 12- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0/स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 13- निदेशक, सूडा/स्टेट लेबल नोडल एजेन्सी, लखनऊ।
- 14- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 15- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 16- परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अधिकारी।
- 17- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।


(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।


कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2060/नौ-5-2012-215सा/08टी.सी., दिनांक 12 जुलाई, 2012 का
संलग्नक-1

जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष/सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मा० संसद सदस्यों (15वीं लोक सभा) की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	मा० संसद सदस्य का नाम
1	2	3
1	आगरा	डा० रामशंकर उपाध्याय सीमा
2	अलीगढ़	श्रीमती राजकुमारी चौहान श्रीमती सारिका सिंह बघेल
3	इलाहाबाद	कुँवर रेवती रमन सिंह श्री कपिल मुनि करवरिया श्री गोरखनाथ पाण्डेय
4	अम्बेडकर नगर	श्री राकेश पाण्डेय श्री भीष्मशंकर तिवारी
5	औरैया	श्री प्रेमदास
6	आजमगढ़	श्री रामाकान्त यादव डा० बलिराम
7	बागपत	श्री अजीत सिंह
8	बहराईच	श्री बृज भूषण शरण सिंह श्री कमल किशोर
9	बलिया	श्री नीरज शेखर श्री रामशंकर राजभर श्री दारा सिंह चौहान
10	बलरामपुर	श्री बेनी प्रसाद वर्मा डा० विनय कुमार पाण्डेय
11	बांदा	श्री आर०के० सिंह पटेल श्री विजय बहादुर सिंह
12	बाराबंकी	श्री पी०एल० पुनिया श्री निर्मल खत्री
13	बरेली	श्री प्रवीन सिंह ऐरन श्री फिरोज वरुण गांधी श्रीमती मेनका गांधी
14	बस्ती	श्री अरविन्द कुमार चौधरी
15	बिजनौर	श्री संजय सिंह चौहान श्री यशवीर सिंह श्री मोहम्मद अजरुद्दीन
16	बदायूँ	श्रीमती मेनका गांधी



क्रमांक	जनपद का नाम	मा0 संसद सदस्य का नाम
1	2	3
		श्री धर्मेन्द्र यादव
17	बुलन्दशहर	श्री कमलेश बाल्मीकि श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
18	चन्दौली	श्री रामकिशुन श्री पकौड़ी लाल
19	छत्रपतिशाहू जी महाराज नगर	श्री राहुल गांधी
20	चित्रकूट	श्री आर०के० सिंह पटेल
21	देवरिया	श्री गोरख प्रसाद जयसवाल श्री कमलेश पासवान श्री राम शंकर राजभर
22	एटा	श्री सलमान खुर्शीद श्री कल्याण सिंह डा० राम शंकर
23	इटावा	श्री मुलायम सिंह यादव श्री प्रेमदास श्रीमती डिम्पल यादव
24	फैजाबाद	श्री निर्मल खत्री श्री राकेश पाण्डेय
25	फिरोजाबाद	श्री राज बब्बर
26	फर्रुखाबाद	श्री सलमान खुर्शीद
27	फतेहपुर	श्री राकेश सचान
28	गौतमबुद्ध नगर	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
29	गाजियाबाद	श्री राजनाथ सिंह श्री अजीत सिंह श्री देवेन्द्र नागपाल श्री राजेन्द्र अग्रवाल
30	गाजीपुर	श्री राधे मोहन सिंह श्री नीरज शेखर
31	गोण्डा	श्री बेनी प्रसाद वर्मा श्री बृज भूषण शरन सिंह
32	गोरखपुर	श्री योगी आदित्यनाथ श्री भीष्मशंकर तिवारी श्री कमलेश पासवान
33	हमीरपुर	श्री विजय बहादुर सिंह
34	हरदोई	श्रीमती ऊषा वर्मा
35	हाथरस (महामाया नगर)	श्रीमती सारिका सिंह बघेल
36	जालौन	श्री घनश्याम अनुरागी
37	जौनपुर	श्री तुफानी सरोज श्री धनंजय सिंह



क्रमांक	जनपद का नाम	मा10 संसद सदस्य का नाम
1	2	3
38	झाँसी	श्री प्रदीप कुमार जैन 'अदित्य' श्री घनश्याम अनुरागी
39	ज्योतिबा फुले नगर	श्री देवेन्द्र नागपाल
40	कन्नौज	श्रीमती डिम्पल यादव
41	कानपुर देहात	श्री राजा राम पाल श्रीमती डिम्पल यादव श्री घनश्याम अनुरागी श्री प्रेमदास
42	कानपुर नगर	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल श्री राजा राम पाल श्री अशोक कुमार रावत
43	कांशी राम नगर	श्री कल्याण सिंह
44	कौशाम्बी	श्री शैलेन्द्र कुमार
45	खीरी	श्री जितिन प्रसाद श्री जफर अली नकवी
46	कुशीनगर	श्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह श्री गोरख प्रसाद जायसवाल
47	ललितपुर	श्री प्रदीप कुमार जैन अदित्य
48	लखनऊ	श्रीमती सुशीला सरोज श्री लाल जी टण्डन
49	महाराजगंज	श्री हर्ष वर्धन
48	महोबा	श्री विजय बहादुर सिंह
49	मैनपुरी	श्री मुलायम सिंह यादव
50	मथुरा	श्री जयन्त चौधरी
51	मऊ	श्री दारा सिंह चौहान
52	मेरठ	श्री राजेन्द्र अग्रवाल श्री कादिर राना श्री अजीत सिंह
53	मीरजापुर	श्री बाल कुमार पटेल
54	मुरादाबाद	श्री शफीकुर्रहमान बर्क श्री मोहम्मद अजरुद्दीन
55	मुजफ्फरनगर	श्री कादिर राणा श्री संजय सिंह चौहान बेगम तबरसुम हसन
56	पीलीभीत	श्री फिरोज वरुण गांधी
57	प्रतापगढ़	राजकुमारी रत्ना सिंह श्री शैलेन्द्र कुमार
58	रायबरेली	श्रीमती सोनिया गांधी श्री राहुल गांधी



क्रमांक	जनपद का नाम	मा0 संसद सदस्य का नाम
1	2	3
59	रामपुर	श्रीमती पी0 जया प्रदा नाहटा
60	सहारनपुर	श्री जगदीश सिंह राना बेगम तबस्सुम हसन
61	संत कबीर नगर	श्री भीष्मशंकर तिवारी
62	संत दविदास नगर (भदोही)	श्री गोरखनाथ पाण्डेय
63	शाहजहाँपुर	श्री मिथलेश कुमार
64	श्रावस्ती	डा0 विनय कुमार पाण्डेय
65	सिद्धार्थ नगर	श्री जगदम्बिका पाल
66	सीतापुर	श्री जितिन प्रसाद श्रीमती कैसर जहाँ श्री अशोक कुमार रावत श्रीमती सुशीला सरोज
67	सोनभद्र	श्री पकौड़ी लाल
68	सुलतानपुर	श्री राहुल गांधी डा0 संजय सिंह
69	उन्नाव	श्रीमती अन्नू टण्डन
70	वाराणसी	डा0 मुरली मनोहर जोशी श्री तुफानी सरोज

